भारत में महिलाओं के विरूद्ध हिंसा एवं अपराध

Sumitra
Assistant Professor
Department of Sociology
C.R. College of Law, Rohtak (HR.)

शोध आलेख सार– वस्तुतः महिलाओं के विरूद्ध हिंसा और अपराध आज आम बात हो चुकी है। महिलाओं के साथ होने वाले बलात्कार, दहेज उत्पीड़न, छेड़छाड़, अपहरण, देह व्यापार, भ्रूण हत्या आदि समस्याएं यह दर्शाती हैं कि भारत में महिलाएं न तो घर में सुरक्षित हैं और न ही घर के बाहर। वास्तव में महिलाओं के विरूद्ध हिंसा व अपराध कोई नई बात नहीं है। समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से देखा जाये तो यह बात स्पष्ट होती है कि प्राचीनकाल से ही सामाजिक परम्पराओं के नाम पर महिलाओं के साथ अन्याय होता आया है। आज भी ऐसी गलत परम्पराएं व रिवाज हमारे सभ्य समाज में मौजूद हैं जो महिलाओं के उत्पीड़न में सहायक हैं। महिलाओं के विरूद्ध होने वाले अपराधों में देखने को आया है कि उनके यौन–उत्पीड़न व हिंसा में उनके नजदीकी लोगों की अधिक भूमिका रहती है। प्रस्तुत शोध पत्र में महिलाओं के विरूद्ध होने वाली हिंसा व अपराध का विश्लेषण किया गया है।

मूलशब्द– सामाजिक परम्पराएं, अपराध, हिंसा, समाज, दहेज उत्पीड़न, कानूनी संरक्षण।

भूमिका– चूंकि भारतीय संस्कृति इस बात की पक्षधर रही है कि जहाँ नारियों की पूजा होती है, वहाँ देवता निवास करते हैं, लेकिन ये सब खोखले वायदे सिद्ध होते रहे हैं। महिलाओं की सुरक्षा के लिए बनाए गए कानून तो असरदार हैं लेकिन उनको लागू करने वाली व्यवस्था बेकार साबित होती रही है। इस बात का ध्यान रखा जाना चाहिए कि महिलाएं के विरूद्ध होने वाली हिंसा व अपराध से उनका मानसिक व शारीरिक शोषण होता है और उनका भावी व्यक्तित्व का विकास रूक जाता है। जब किसी महिला के साथ कोई अनहोनी घटना घटती है तो उसका सारा जीवन एक कलंक बन कर रह जाता है और उसे घुट–घुटकर जीने को मजबूर होना पड़ता है। अतः आवश्यकता इस बात की है कि महिलाओं के विरूद्ध होने वाली हिंसा पर अंकुश लगाया जाये।

बलात्कार– यह समस्या सम्पूर्ण विश्व में एक नासूर की तरह फैली हुई है। प्राचीन समय में तो यह समस्या उतनी गंभीर नहीं थी परन्तु पश्चिमी सभ्यता का प्रभाव बढने से भारत में भी दिन–प्रतिदिन यह एक गंभीर समस्या बनकर उभर रही है। हमारे देश में एक दशक पहले हर चार घण्टे में सात बलात्कार होते थे जो बढकर दोगुने हो चुके हैं। पिछले दशक में महिलाओं के विरूद्ध अपराध पर प्रस्तुत की गई एक रिपोर्ट से पता चलता है कि भारत में हर चालीस मिनट में एक बलात्कार होता है। इसमें आयु के हिसाब से बलात्कार की सर्वाधिक शिकार महिलाएं 16 से 30 वर्ष के आयु समूह की हैं।[1] निर्धन कन्याओं को तो ग्रामीण परिवेश मे भी इस समस्या का सामना करना पड़ता है। जो कामकाजी महिलाएं हैं उनके साथ यह घटना घटती है तो कार्यस्थल का वातावरण दूषित हो जाता है। आये दिन अखबारों में पढने को मिलता है कि अपनी महिला कर्मचारी के साथ मालिक ने गलत कार्य किया है तो महिलाएं बाहर जाने से भी डरती हैं और वे पुरूष समाज पर आश्रित होकर रह जाती हैं। घर में भी अपने पारिवारिक सदस्यों, पास–पड़ोस या रिश्तेदारों के द्वारा भी महिलाओं के साथ बलात्कार की घटनाएं होती रहती हैं।

आज महिलाएं घर की चारदीवारी के अन्दर व बाहर असुरिक्षित महसूस करती हैं। जेल में महिला कैदियों के साथ जेल प्रशासन द्वारा इस घटना को अंजाम दिया जाता है, महिला मरीजों के साथ हस्पताल के कर्मचारी इस कार्य को अंजाम देते हैं, रोजाना वेतनभोगी महिलाओं के साथ ठेकेदारों द्वारा यह कार्य किया जाता है। सत्य तो यह है कि भिखारियों, बहरी–गूंगी, पागल, दिव्यांगों आदि को भी नहीं छोड़ा जाता। जिस परिवार का भरण–पोषण महिलाओं द्वारा किया जाता है, वहां तो मजबूरीवश यह सब उन्हें सहना पड़ता है। यदि वे विरोध करती हैं तो उन्हें सामाजिक कलंक व अपमान का सामना करना पड़ता है। भारत में 2002 में 16373 बलात्कार हुए थे, जो वर्ष 2011 में बढ़कर 24206 हो गए। इससे इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है कि यह समस्या कितनी गंभीर हो रही है।

2012 में दिल्ली में हुए निर्भया कांड ने तो हमारे समाज की पोल खोलकर रख दी। इस गैंगरेप की घटना ने लोगों को सड़कों पर आने को मजबूर किया तथा न्यायपालिका ने भी सख्ती से त्वरित सुनवाई शुरू की। चूंकि इससे पहले 19 अक्तूबर 1994 को दिल्ली डोमेस्टिक वर्किंग वुमेन्स बनाम

[1] राम आहूजा, सामाजिक समस्याएं, पृ0 240.

भारत सरकार मामले में महिला सुरक्षा की दृष्टि से 8 दिशा निर्देश दिये थे। इसमें यौन–उत्पीड़न की शिकार महिला को कानूनी मदद की व्यवस्था की गई थी, परन्तु इस पर अमल नहीं हुआ। दूसरा अहम फैसला 13 अगस्त 1997 का है जो कार्यस्थल पर यौन–उत्पीड़न रोकने से सम्बन्धित है। इस फैसले को विशाखादत केस के रूप में जाना जाता है। इसका उद्देश्य कार्यस्थल पर यौन–उत्पीड़न रोकना है। 19 अक्तूबर 2012 को सुप्रीम कोर्ट ने मेघा कोतवाल केस में सभी राज्यों को सख्ती से विशाखादत दिशा निर्देश लागू करने का आदेश दिया, फिर भी यह सिलसिला रूकने का नाम नहीं ले रहा है।[2]

अपहरण– अपहरण का अर्थ है – नाबालिग लड़की को उसके कानूनी अभिभावक की सहमति के बिना फुसलाना और भगा ले जाना। इसमें महिला को धोखेबाजी से ले जाकर उसका यौन उत्पीड़न करना, बलात्कार करना, विवाह करना आदि शामिल हैं। एक अनुमान के अनुसार भारत में प्रतिदिन लगभग 50 लड़कियों का अपहरण होता है। कई बार अपहरणकर्त्ता फिरौती तक मांगते हैं और न मिलने पर लड़की की हत्या तक कर देते हैं। यह भी देखने को मिलता है कि बलात्कार के बाद अपहरणकर्त्ता सबूत मिटाने के लिए लड़की की हत्या कर देते हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्टों से कई बार खुलासा हुआ है कि अपहरण की गई लड़की या महिला के साथ गैंग रेप करके उसके निजी अंगों को अमानवीय हद तक क्षति पहुंचाई जाती है।

दहेज हत्याएं– भारत में दहेज की समस्या प्राचीनकाल से विद्यमान रही है। यद्यपि 1961 में दहेज विरोधी कानून बनाया गया है फिर भी भारत में दहेज हत्याएं होती रहती हैं। एक अनुमान के अनुसार हर 90 मिनट में एक दहेज सम्बन्धी हत्या हो जाती है। दहेज हत्याओं में पति, उसका परिवार व उसके रिश्तेदार तक शामिल होते हैं। मध्यम वर्ग की महिलाएं इसकी अधिक शिकार होती हैं। अतः आवश्यकता इस बात की है कि समाज में जागरूकता लाई जाये और दहेज विरोधी कानून को अधिक प्रासंगिक बनाया जाये ताकि गलत इरादे से महिलाएं इसका लाभ न ले सकें।

[2] माला दीक्षित, ''कानून असरदार, व्यवस्था बेकार, **दैनिक जागरण**, पानीपत, 30 दिसम्बर, 2012, पृ0 9.

घरेलू हिंसा– वस्तुतः ऐसा कोई भी कार्य या आचरण जो महिला के स्वास्थ्य, जीवन, शरीर व मन को क्षतिग्रस्त करता है, घरेलू हिंसा के दायरे में आता है।[3] दूसरे शब्दों में महिला के साथ परिवार के सदस्यों के द्वारा दुर्व्यवहार करना, उसके स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाना, उसके साथ गाली–गलौच करना, उसे ताने देना, आर्थिक भेद–भाव करना, उसका यौन उत्पीड़न करना, उसे पीटना आदि अमानवीय व्यवहार घरेलू हिंसा की श्रेणी में आता है। यद्यपि इसको रोकने के लिए घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 भी बनाया गया है ताकि पीड़ित महिला को न्याय मिल सके। इसके दायरे में माता, बहन, पुत्री, पत्नी, विधवा, वृद्ध, नाबालिग, विवाहित, अविवाहित, तलाकशुदा एवं किसी भी उम्र की महिला को रखा गया है। घरेलू हिंसा से पीड़ित महिलाओं को गैर–सरकारी संगठनों की मदद से आश्रय देने, उसका पुनर्वास करने तथा कानूनी मदद का प्रावधान किया गया हैं।

तेजाबी हमले– यह समस्या भारत के विभिन्न भागों में तेजी से फैल रही है। वर्ष 2012 में निर्भया बलात्कार कांड के बाद सर्वोच्च न्यायालय ने वर्मा समिति का सिफारिश के आधार पर महिलाओं के विरूद्ध होने वाले अपराधों में तेजाबी हमले के बारे में कानून में संशोधन की सिफारिश की गई थी। इसमें स्पष्ट किया गया कि आत्मरक्षा कानून में संशोधन करके तेजाबी हमले को भी शामिल किया जाये और इसमें दोषी पाये गए अपराधी को 10 वर्ष से लेकर आजीवन कारावास की सजा सुनाई जाये। इसके बाद भारत में अपराधिक कानून–2013 अस्तित्व में आया जिसके अन्तर्गत महिला को आत्मरक्षा का अधिकार दिया गया है तथा तेजाबी हमला करने वाले व्यक्ति को 10 वर्ष की सजा का प्रावधान किया गया है। विशेष परिस्थितियों में अपराधी की सजा में वृद्धि भी की जा सकती है, परन्तु इस कानून में पीड़िता की मदद के बारे में कोई स्पष्ट व्यवस्था नहीं है। हरियाणा एकमात्र ऐसा राज्य है, जहाँ कि सरकार द्वारा तेजाबी हमले की शिकार महिलाओं के इलाज का पूरा खर्च सरकार द्वारा उठाया जाता है।[4]

[3] जी.एल.शर्मा, **सामाजिक मुद्दे**, रावत पब्लिकेशन्स, जयपुर, 2015, पृ0 431.

[4] जी.एल.शर्मा, **सामाजिक मुद्दे**, रावत पब्लिकेशन्स, जयपुर, 2015, पृ0 433.

पत्नी को पीटना– भारतीय समाज में यह धारणा रही है कि महिलाएं पति की यातना सहने के लिए ही बनी हैं। परिवार की परम्परा के नाम पर उसे पत्नी को पीटना एक गंभीर अपराध है। इसकी शिकायत पड़ोसी भी पुलिस में कर सकता है। महिलाओं का यह उत्पीड़न महिला को परिवार में समायोजित होने से रोकता है। इस घटना की पुनरावर्ति महिला को तलाक तक लेने की नौबत ले आती है। चूकि आज शिक्षित परिवारों में भी ये घटनाएं होती हैं, इसलिए इसे घरेलू हिंसा के दायरे में लाया गया है। जिस परिवार में यह घटना होती है, वहां अपराधी पर घरेलू हिंसा अधिनियम के तहत केस चलता है, जिसमें सजा का भी प्रावधान है।

तालिका– महिलाओं के विरूद्ध अपराध

वर्ष	बलात्कार	छेड़छाड़	यौन–उत्पीड़न	अपहरण	दहेज हत्या
2011	24206	42968	8570	35665	8618
2010	22172	40613	9961	29795	8391
2009	21397	38711	11009	25741	8383
2008	21467	40413	12214	22939	8172
2007	20737	38734	10950	20416	8093
2006	19348	36617	9966	17414	7618
2005	18359	34175	9984	15750	6787
2004	18233	34567	10001	15578	7026
2003	15847	32939	12335	13296	6208
2002	16373	33943	10155	14506	6822

(स्रोत– दैनिक जागरण, 30 दिसम्बर 2012)

उपरोक्त तालिका 2002 से 2011 तक महिलाओं के विरूद्ध होने वाले विभिन्न अपराधों की स्थिति स्पष्ट करती है। 2002 की तुलना में महिलाओं के विरूद्ध होने वाले बलात्कार, छेड़छाड़, अपहरण तथा दहेज हत्याओं में खासी बढोतरी हुई है। 2011 की स्थिति के अनुसार यौन–उत्पीड़न के मामलों में कुछ कमी देखी गई है। इसका कारण असरदार कानून हो सकता है या जागरूक समाज की भूमिका हो सकती है।

सारांश– इस प्रकार हम देखते हैं कि महिलाओं के विरूद्ध होने वाली हिंसा व अपराध भारतीय समाज के लिए एक चुनौती बनकर उभर रही है। महिलाओं के साथ होने वाले बलात्कार, छेड़छाड़, यौन–उत्पीड़न, अपहरण, दहेज हत्या, आदि अपराधों ने मानव समाज की चिन्ताएं बढा दी हैं। इसका मुख्य कारण कानून का कम असरदार होना, जन–जागरूकता की कमी, गलत परम्पराएं व सामाजिक रीति–रिवाज, महिलाओं द्वारा विरोध न करना, पुरूष प्रधान समाज की मानसिकता आदि कुछ भी हो सकता है। चूंकि महिलाओं के विरूद्ध घरेलू हिंसा रोकने के लिए घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 तथा कार्य स्थल पर यौन उत्पीड़न रोकने के लिए अधिनियम 2013 बनाया गया है, फिर भी ये घटनाएं रूकने का नाम नहीं ले रही। पिछले कुछ वर्षों में नाबालिग लड़कियों के साथ बलात्कार की घटनाओं में खासी वृद्धि देखने को मिली है। उत्तरप्रदेश तथा दिल्ली में ये घटनाएं काफी हुई हैं। कई बार दिल्ली को तो बलात्कारों का शहर की संज्ञा दी जाती है। अतः आज इस बात की महती आवश्यकता है कि महिलाओं को कानूनी अधिकारों के प्रति जागरूक किया जाये और इस दिशा में गैर–सरकारी संगठनों की भूमिका काफी महत्वपूर्ण हो सकती है।

सन्दर्भ–

1. ए.एल.कर्टिस, **क्रिमिनल वॉयलेंस**, लग्जीनटन बुक्स, केन्टुकी, 1974.
2. राम आहूजा, **क्राईम अंगेस्ट वुमेन**, रावत पब्लिकेशन्स, जयपुर, 1987.
3. जी.एल.शर्मा , समाजशास्त्र विश्वकोष, यूनिवर्सिटी बुक हाऊस, जयपुर, 2008.
4. राधा कुमार, **स्त्री संघर्ष का इतिहास**, वाणी प्रकाशन, नई दिल्ली, 2009.
5. राम आहूजा, **सामाजिक समस्याएं,** रावत पब्लिकेशन्स, जयपुर, 2011.
6. माला दीक्षित, ''कानून असरदार, व्यवस्था बेकार, **दैनिक जागरण**, पानीपत, 30 दिसम्बर, 2012.
7. योगेश चन्द्र शर्मा एवं गरिमा शर्मा, ''महिला पुलिस एवं मानवाधिकार'', **पैनासीआ इण्टरनेशनल रिसर्च जर्नल,** वॉल्यूम–1 (1), जुलाई–सितम्बर, 2013.
8. विवेक राज, ''समकालीन भारतीय मुद्देः समस्या एवं समाधान'', **सिविल सर्विसेज टाईम्स**, नई दिल्ली, 2013–14.
9. जी.एल.शर्मा, **सामाजिक मुद्दे**, रावत पब्लिकेशन्स, जयपुर, 2015.
10. सुमन मण्डल, **भारत में धर्म एवं सामाजिक आन्दोलन,** राधा प्रकाशन, नई दिल्ली, 2015.